

नियम 10 : रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का जारी किया जाना

- (1) धारा 25 की उपधारा (12) के उपबंधों के अधीन, जहां रजिस्ट्रीकरण किए जाने के लिए आवेदन का नियम 9 के अधीन अनुमोदन कर दिया गया है, वहां आवेदक को कारबार के मुख्य स्थान और कारबार का (के) अतिरिक्त स्थान या स्थानों को दर्शित करते हुए **प्ररूप जीएसटी आरईजी-06** में सामान्य पोर्टल पर एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाया जाएगा तथा माल और सेवा कर पहचान संख्यांक निम्नलिखित वर्णों के अधीन समनुदेशित किया जाएगा; अर्थात् :
- (क) राज्य कोड के लिए दो वर्ण;
(ख) स्थायी लेखा संख्यांक या कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक के लिए दो वर्ण;
(ग) अस्तित्व कोड के लिए दो वर्ण; और
(घ) एक चैकसम वर्ण।
- (2) जहां रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसी तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया है, वहां रजिस्ट्रीकरण उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो जाता है।
- (3) जहां आवेदक द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन, उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो जाने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, वहां रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रभावी तारीख, नियम 9 के उपनियम (1) या उपनियम (3) या उपनियम (5) के अधीन रजिस्ट्रकरण प्रदान करने की तारीख होगी।
- (4) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रत्येक प्रमाणपत्र समुचित अधिकारी द्वारा ¹[सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित] होगा।
- (5) जहां रजिस्ट्रीकरण नियम 9 के उप-नियम (5) के अधीन प्रदान किया गया है, वहां आवेदक को, रजिस्ट्रीकरण संख्यांक संसूचित किया जाएगा और उपनियम (1) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उसे नियम 9 के उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् तीन दिन की अवधि के भीतर सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

¹ अधिसूचना क्रमांक 7/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 27.06.2017 द्वारा "डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.06.2017)।